कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45005/स्थानान्तरण–पदस्थापन/2022 दिनांक 07.08.2022 द्वारा श्रीमती सुमन, प्रधानाचार्य, राउमावि अरायण, जिला श्रीगंगानगर का स्थानान्तरण राउमावि लखा हाकम 84RRB, जिला श्रीगंगानगर किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती सुमन द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3175/2022 गायत्री बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2022 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के विधवा होने एवं सास के स्वास्थ्य कारणों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर राउमावि 56RRB गगुवाला, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किए जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का श्रीगंगानगर जिले में स्थानीय स्थानान्तरण किया गया है, किसी अन्य जिले या दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी प्रधानाचार्य समकक्ष पद पर पदस्थापित है जो कि एक राज्य सेवा का पद है और राज्य सेवा के अधिकारी को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता हैं। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण भी किया जा चुका है। उक्तानुसार अपीलार्थी श्रीमती सुमन, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुमन/3175/2022/02 दिनांकः 18-10-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक श्रीगंगानगर।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. श्रीमती सुमन, प्रधानाचार्य राउमावि लखा हाकम 84RRB, जिला गंगानगर।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)